मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित 2X800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दिनांक–11.04.2025 को अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई "लोक सुनवाई" का कार्यवृत्त।

उक्त सन्दर्भित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने विषयक **मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित 2X800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना** सम्बन्धी आवेदन–पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच 24458/सी–2/एन0ओ0सी0–5506/लोक–सुनवाई/25, दिनांक–20.02.2025 जो जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र से लोक–सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के अनुरोध पर जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर की अध्यक्षता में दिनांक–**11.04.2025** को **उच्च प्राथमिक विद्यालय मड़िहान बाजार, मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर के समीप** नियत की गयी थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 (यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या एस0ओ0–3067 (ई) दिनांक–01.12.2009 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार उक्त प्रस्ताव पर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आम–सूचना हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों **अमर उजाला** एवं **दी इण्डियन एक्सप्रेस** में **दिनांक–07.03.2025** को आम–जनता से पर्यावरण सम्बन्धी आक्षेप/सुझाव/आपत्ति आदि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर आमंत्रित किया गया था। उक्त परियोजना का कार्यपालक सार एवं पर्यावरणीय प्रभाव ऑकलन रिपोर्ट (ई0आई0ए0) की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी कार्यालय जिला अधिकारी, मिर्जापुर, कार्यालय जिला पंचायत, मिर्जापुर उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र मिर्जापुर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय में जन–साधारण के अवलोकनार्थ रखवायी गयी थी। लोक सुनवाई के प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक एवं निर्धारित स्थल पर बैनर लगाये गए एवं मुनादी करायी गयी। अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर की अध्यक्षता में दिनांक–11.04.2025 को **उच्च प्राथमिक विद्यालय मड़िहान बाजार, मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर के समीप** लोक–सुनवाई का आयोजन किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नलिखित अधिकारी/जन–समूह उपस्थित हुए:–

1. श्री एस0पी0 शुक्ला, अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर।
2. श्री आर0के0 सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
3. श्री आर0एन0 शुक्ला, प्रतिनिधि, मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड।
4. श्री अभय कुमार सिंह, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
5. श्री अभिषेक गौतम, मेसर्स गौरांग एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान।
6. लोक सुनवाई के समय उपस्थित जन–समूह की उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री आर0के0 सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र ने उपस्थित अध्यक्ष, आम जनता एवं प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 (यथासंशोधित) एस0ओ0 3067

(ई) दिनांक–01.12.2009 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित उक्त प्रस्ताव पर लोक–सुनवाई की प्रक्रिया अपनायी जानी आवश्यक है। लोक– सुनवाई में लगभग 1600 से अधिक लोगों ने भाग लिया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित निर्धारित अवधि में लिखित रूप **में 01 सुझाव/शिकायत** इस कार्यालय में दिनांक–11.04.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्त हुआ है (**छायाप्रति संलग्न**)। तदोपरान्त् प्रतिनिधि, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र द्वारा परियोजना का विस्तृत विवरण पर्यावरणीय संरक्षण एवं पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देने हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात परियोजना प्रतिनिधि, श्री आर0एन0 शुक्ला द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित अपर जिला अधिकारी, मिर्जापुर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों/सदस्यों तथा जन सामान्य का स्वागत किया गया तथा बताया गया कि **मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित 2X800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना** के लिए परियोजना है। उक्त परियोजना की स्थापना सम्बन्धी पर्यावरण प्रभाव आंकलन के अध्ययन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टर्म ऑफ रिफरेन्सेज (टी०ओ०आर०) स्वीकृति पत्रांक दिनांक–29.07.2024 द्वारा प्रदान की गयी।

अनुमोदित टी०ओ०आर० की शर्तों के अनुसार परियोजना स्थल के 10 कि०मी० की परिधि क्षेत्र में भौतिक, जैविक एवं सामाजिक–आर्थिक पर्यावरणीय आधारभूत सम्बन्धी अध्ययन माह–अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के मध्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित पर्यावरण सलाहकार मेसर्स गौरांग एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कराया गया एवं ड्राफ्ट ई०आई०ए० रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाकर लोक–सुनवाई हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक–10.02.2025 को प्रेषित किया गया था। परियोजना के प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित परियोजना के सम्बंध में विस्तृत विवरण उपस्थित जन–समूह को अवगत कराया गया है, जो निम्नवत् है:–

"मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड (एपीएल) विविधीकृत अडानी समूह की एक प्रमुख कंपनी है, जो भारत की सबसे बड़ी निजी थर्मल पावर उत्पादक कंपनी है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 17,510 मेगावाट है। ए0पी0एल0 गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में थर्मल पावर प्लांट का संचालन कर रही है।

परियोजना की पृष्ठिभूमि

मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड ने दादरी खुर्द गांव, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में 1600 (**2X800**) मेगावाट की कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी थर्मल पावर परियोजना (यूएससीटीपीपी) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

इससे पहले, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा फाइल संख्या जे–13012/12/2011–आईए.II(टी) दिनांक 21.08.2014 के तहत वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड को 1320 (2x660) मेगावाट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान की गई थी तत्पश्चात, पत्र संख्या एफ0 सं0 जे–13012/12/2011–आईए II(टी) दिनांक 20.12.2019 द्वारा नाम परिवर्तित कर **मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड** कर दिया गया। यूपी0पी0सी0बी0 ने दिनांक 13.01.2015 को स्थापना की सहमति (सी0टी0ई0) भी प्रदान की थी। अब प्रस्ताव 2x660 मेगावाट से बदलकर **2X800** मेगावाट कर दिया गया है।

लोक सुनवाई का उद्देश्य:–

- प्रस्तावित परियोजना या गतिविधि के पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित सुझाव/आपत्ति/आपेक्ष को स्थानीय लोगों एवं अन्य हितधारकों के साथ विचार करना और उनका समाधान करना

एवं संबंधित मुद्दों, सुविधाओं, संभावनाओं, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ और प्रभावों पर स्थानीय जनता के सुझावों के लिए एक मंच प्रदान करना।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं:

- प्रस्तावित परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता **2X800** मेगावाट परियोजना का निर्माण ग्राम दादरी खुर्द, तहसील मिर्जापुर सदर, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है।
- यह परियोजना विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत में सबसे बड़ी स्थापित परियोजना में से एक है।
- परियोजना के लिए पानी की आवश्यकता गंगा नदी से ऊपरी खजूरी बांध तक तथा ऊपरी खजूरी बांध से संयंत्र स्थल तक पाइपलाइन के माध्यम से पूरी की जाएगी।
- यह संयंत्र शून्य तरल निर्वहन (ZLD) पर आधारित है।
- प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु कुल–365.19 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।
- प्रस्तावित परियोजना के निर्माण चरण में लगभग 7500 कामगारों की आवश्यकता होगी, जिससे से स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार, स्वरोजगार एवं व्यवसाय के अवसर प्राप्त होंगे।
- परियोजना के निर्माण से स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, जैसी बुनियादी सुविधाओं में स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा, जिससे परियोजना क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

परियोजना से लाभः–

उपलब्ध भौतिक अवसंरचना (जैसे संपर्क मार्ग, जल निकासी, संचार और परिवहन सुविधाएं आदि) और सामाजिक संरचना (जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली) में सुधार। परियोजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षेत्र में सहायक और लघु उद्योगों का विकास। आस–पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। सीएसआर गतिविधियों/कार्यक्रमों के तहत आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का विकास किया जाएगा जो कंपनी अधिनियम के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद होगा। नए स्कूल और दुकानें खोलने जैसे अन्य विकास हो सकते हैं। ये अध्ययन क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। इससे राज्य के साथ–साथ भारत में भी बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा, जो आर्थिक विकास के साथ–साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण चरण में पर्यावरण एवं सामाजिक परिवेश पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना, वनीकरण योजना, जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन योजना, मत्स्य विकास योजना, भूमिहीन और निर्माण स्थलों की पुनर्स्थापना, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली, ऊर्जा संरक्षण उपाय, श्रमिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन योजना, ग्रीन बेल्ट विकास योजना, आपदा प्रबंधन योजना, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण योजना, वायु जल और ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण योजना, स्थानीय क्षेत्र का विकास योजना, जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना एवं पर्यावरण मॉनिटरिंग कार्यक्रम के प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन आदि प्रस्तावित की गयी है।

तत्पश्चात उपस्थित जन सामान्य को परियोजना प्रतिनिधि श्री आर एन शुक्ला, प्रमुख, पर्यावरण और वन द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP) के मद में **कुल रुपये 3012.39 करोड़** प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय विकास योजना (CER) में बुनियादी सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत **रू 45.75 करोड़** व्यय किया जाना प्रस्तावित है।"

तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र ने उपस्थित जन–सामान्य को सुझाव/आपत्ति/आक्षेप प्रकट करने हेतु आमंत्रित किया गया। लोक–सुनवाई के दौरान जन–सामान्य से निम्नलिखित मौखिक सुझाव/आपत्ति/आक्षेप के अतिरिक्त लिखित रूप से कुल 53 समर्थन पत्र MTEUPPL के पक्ष में प्राप्त हुए है, जो संलग्न है। सम्पूर्ण जन सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई है जो संलग्न है।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र ने उपस्थित जन–सामान्य को सुझाव/आपत्ति प्रकट करने हेतु आमन्त्रित किया गया। उपस्थित जन–सामान्य द्वारा प्रस्तुत सुझाव/आपत्ति का विवरण निम्नवत है:–

क्र सं	व्यक्ति का नाम एवं पता	सुझाव/आपत्ति/टिप्पणी
1.	श्री महेंद्र सिंह, मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर।	➢ हमारे माननीय प्रधान मंत्री कहते हैं कि जब कोई बड़ी कंपनी किसी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का निर्णय लेती है, तो सबसे पहले उस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हैं। यहां जो उद्योग स्थापित किया जाएगा, वह लोगों को किसी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए और यह बहुत अच्छा होगा यदि यह बताया जाए कि स्थानीय लोगों को कितना प्रतिशत रोजगार दिया जाएगा।
2.	श्री बाबूराम यादव, ददरा पहाड़ी, मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर।	➢ मैं इस जनसुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं कंपनी प्रतिनिधियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ; पहले सोनभद्र में एक पावर प्लांट स्थापित किया गया था, लेकिन उसकी बिजली का लाभ सोनभद्र के लोगों को, विशेष रूप से मिर्ज़ापुर और विंध्याचल के लोगों को नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया यह स्पष्ट करें कि उत्पन्न की जाने वाली बिजली का कितना प्रतिशत मिर्ज़ापुर को वितरित किया जाएगा। साथ ही, कृपया यह भी बताएं कि मिर्ज़ापुर के स्थानीय निवासियों को कितना रोजगार प्रदान किया जाएगा। मैं इस परियोजना का समर्थन करता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी क्षमता की परियोजना की स्थापना क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है।
3.	श्री नंदन यादव, ददरा पहाड़ी, मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर।	➢ हम अपने क्षेत्र में विकास देखना चाहते हैं। और यह परियोजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हम यह भी आशा करते हैं कि स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, और यह पावर प्लांट आसपास के स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के सुधार में योगदान देगा।
4.	श्री दीनदयाल सिंह (एनटीपीसी रिटायर्ड), मड़िहान, जनपद–	➢ मै अदानी समूह द्वारा किए गए सीएसआर कार्यों की सराहना करता हूँ। पीने के पानी की समस्या के

	मिर्जापुर	समाधान के लिए एक बोरवेल स्थापित किया जाना चाहिए।
5.	श्री दिनेश कुमार पटेल, मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर।	➢ परियोजना की जल आवश्यकता की पूर्ति गंगा नदी से जल लेकर की जाएगी। हालाँकि, इससे किसानों के लिए जल की कमी हो सकती है, जो क्षेत्र में कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है।
6.	श्रीमती रिंकू देवी, देवरीकला, मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर।	➢ मैं इस परियोजना के लिए अदानी समूह का समर्थन करती हूँ क्योंकि वे शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिसमें स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं का विकास भी शामिल है।
7.	श्री हरि शंकर पटेल, मड़िहान, मिर्जापुर।	➢ मैं इस परियोजना का समर्थन करता हूँ क्योंकि यह बिजली उत्पन्न करेगी, जो क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। पहले यहां एक सीमेंट फैक्ट्री चालू थी, लेकिन अब वह बंद हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों का कुल रोजगार कोई प्रमुख स्रोत नहीं बचा है। जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 1.6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। शेष भूमि पहाड़ी, वन क्षेत्र या आबादी वाला क्षेत्र है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार, औद्योगिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। चूंकि इस परियोजना के लिए चयनित भूमि गैर–कृषि है, इसलिए हम इस परियोजना का खुले दिल से स्वागत करते हैं। ➢ मिर्जापुर, देश की विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बन रहा है, और इस विद्युत संयंत्र की स्थापना इस क्षेत्र के लिए एक आशीर्वाद के रूप में देखी जा सकती है। मिर्जापुर के लोगों को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर जब जिले की जनसंख्या 30 लाख से अधिक हो चुकी है। ➢ मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूँ – जब इस परियोजना के लिए खजुरी डैम से पानी की आवश्यकता होगी, तब तो पानी छोड़ा ही जाएगा, लेकिन अन्य समयों में भी इसे छोड़ा जाना चाहिए, जिससे स्थानीय लोग इस जल संसाधन का बेहतर उपयोग कर सकें।
8.	श्रीमती राम दुलारी (दादरी खुर्द), मड़िहान, मिर्जापुर।	➢ मैं इस पावर प्लांट परियोजना का समर्थन करती हूँ और केवल यही अनुरोध करती हूँ कि स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता दी जाए।
9.	श्री बैजनाथ प्रजापति, मड़िहान, मिर्जापुर।	➢ यह परियोजना मिर्जापुर के विकास में योगदान देगी और रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगी, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ।

10.	श्री पुष्पांजलि देवी, देवरी कलाँ, मड़िहान, मिर्जापुर।	➢ मैं अदानी पावर प्लांट परियोजना का समर्थन करता हूँ क्योंकि यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना शिक्षा प्रणाली में सुधार और सड़क अवसंरचना को बेहतर बनाने सहित कई अन्य लाभों में भी योगदान देगी।
11.	श्री प्रवीण कुमार पांडे, मड़िहान, मिर्जापुर।	➢ उत्तर प्रदेश में रोजगार की समस्या है। यदि यह समूह स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करता है, तो यह युवाओं को अपने गांवों में ही रहने और एक स्थिर व शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
12.	श्री मनीष कुमार सिंह, पटेहरा कला, मड़िहान, मिर्जापुर।	➢ मैं अदानी पावर लिमिटेड का समर्थन करता हूँ, क्योंकि अदानी पावर प्लांट स्थानीय समुदाय के लिए सराहनीय कल्याणकारी कार्य कर रहा है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है।
13.	श्रीमती रुकमणी, मड़िहान, मिर्जापुर।	➢ मैं अदानी पावर लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
14.	श्री अनिल कुमार सिंह (प्रिंसिपल शान्ति निकेतन स्कूल , गोडहोडरा)	➢ मैं इस परियोजना का वास्तव में सराहना करता हूँ। मैं पिछले 27 वर्षों से कार्यरत हूँ, और इस दौरान किसी भी निजी संस्था ने स्कूलों में एक नल तक नहीं लगाया। इसके विपरीत, इस समूह ने 40–50 स्कूलों में सोलर पैनल लगाए हैं, कॉलेजों में नवीनीकरण का कार्य किया है और खेल गतिविधियों के लिए क्रिकेट नेट प्रैक्टिस ग्राउंड भी प्रदान किया है। ➢ इस समूह ने खेल, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी मेडिकल वैन सेवा वर्तमान में चालू है, और मैं चाहता हूँ कि यह सेवा निरंतर चलती रहे। ➢ कुछ लोगों का मानना है कि जब यह प्लांट स्थापित हो जाएगा, तो सभी कल्याणकारी कार्य बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आधुनिक तकनीक के कारण इस परियोजना से प्रदूषण नहीं होगा। उचित तरीके से वृक्षारोपण किया जाएगा और राख के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली जाएगा।

तत्पश्चात् मा0 विधायक मड़िहान, श्री रमा शंकर सिंह पटेल द्वारा बताया गया कि लोग भाग्यशाली हैं कि मिर्जापुर जनपद में उत्तर प्रदेश की स्थिति कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 18300 करोड़ का इन्वेस्ट मिर्जापुर में हो रहा है और हमारे बगल में हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। यहाँ रोजगार करने के लिए थर्मल पावर 1600 मेगावॉट का लगा रहे हैं। इस प्लांट के लगने से हमने बताया कि लोगों को रोजगार मिलेगा।

जन सामान्य को परियोजना प्रतिनिधि श्री अभिषेक गौतम, मेसर्स गौरांग एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने सहित पड़ोसी क्षेत्रों के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। 30 सितंबर, 2020 और 20 अक्टूबर, 2020 के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई

दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों के आधार पर सामाजिक–आर्थिक विकासात्मक गतिविधियाँ तैयार की जाएंगी, जिन्हें पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में संबोधित किया जाएगा और परियोजना के चालू होने के साथ समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

तत्पश्चात् अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर द्वारा लोक सुनवाई में अपने सुझावों को व्यक्त करने हेतु जन प्रतिनिधियों एवं उपस्थित जन सामान्य का आभार व्यक्त करते हुए बताया गया कि यह लोक–सुनवाई की कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना से सम्बन्धित लोगों की आपत्ति/सुझाव को लिखित रूप से दर्ज कर सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जाना है। इस लोक सुनवाई में उपस्थित आम जनमानस द्वारा अपनी–अपनी सुझावों/आक्षेप से अवगत कराया गया। जन–मानस द्वारा जो भी सुझाव/आपत्ति/टिप्पणी रखे गये हैं, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, आपके द्वारा रखे गये विचार रिकार्ड किये गये हैं। उन्हें लिपिबद्ध कर वीडियो रिकार्डिंग के साथ उच्च स्तर पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्रेषित किया जायेगा। अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर द्वारा उम्मीद की गयी की जन सामान्य द्वारा परियोजना के विकास हेतु परियोजना प्रस्तावक का सहयोग करेगें तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थानीय लोगों की मांगो एवं सुझावों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के विकास पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर द्वारा परियोजना प्रतिनिधि से कहा गया कि यहॉ के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश करें तथा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओ के विकास हेतु कार्य किये जाये।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र द्वारा सभी उपस्थित जन–सामान्य को धन्यवाद करते हुए अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर की अनुमति से लोक सुनेवाई की कार्यवाही पूर्ण करने की घोषणा की गयी।

11/4/25

(आर0के0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद–सोनभद्र

11.04.025

(एस0पी0 शुक्ला)
अपर जिलाधिकारी
(वि0–राजस्व),
जनपद–मिर्जापुर

S. No. 4989 /202

VIJAY C. SHAH
NOTARY
GOVT. OF INDIA
19 JUN 2025

PUBLIC HEARING PROCEEDINGS
(ENGLISH TRANSLATION)
For

Proceeding of "Public Hearing" held on dated 11.04.2025 for the proposed 2x800 MW Coal Based Ultra Critical Thermal Power Plant by M/s. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited under the Chairmanship of Additional District Magistrate (Dept-Revenue), Mirzapur.

As per the provisions mentioned in the Notification No. SO-1533, dated 14th September 2006 (as amended) Notification No. SO-3067 (E) dated 01.12.2009 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi and after due consideration of the application regarding the establishment of proposed 2x800 MW coal based Ultra Super Critical Thermal Power Plant of M/s Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited for obtaining environmental clearance, in compliance with the instructions of the State Board's letter no. H 24458/C-2/NOC-5506/Lok-Sunwai/25, dated-20.02.2025, which was addressed to the District Magistrate, Sonbhadra and endorsed to the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Sonbhadra, a public hearing was Conducted on 11.04.2025 at near Upper Primary School Madihan Bazar Madihan, District-Mirzapur under the chairmanship of Additional District Magistrate (Dept-Revenue), Mirzapur nominated by the District Magistrate, Mirzapur.

in pursuant to the request of the Regional Officer, Sonbhadra, to fix the date, place and time for conduting the public hearing from the District Magistrate, Mirzapur, a general notice for environmental clearance on the said proposal was published in the Hindi daily newspapers **Amar Ujala and The Indian Express** on **07.03.2025**, inviting objections/suggestions/objections related to environment from the general public within 30 days from the date of publication. The hard and soft copy of the Executive Summary and Environmental Impact Assessment Report (EIA) of the said project had been submitted to the office of District Officer, Mirzapur, Office of District Panchayat, Mirzapur Deputy Commissioner,

District Industries and Enterprise Promotion Center Mirzapur, Uttar Pradesh Pollution Control Board Lucknow, Regional Office, Central Region, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India for public viewing.

For the promotion of public hearing, banners were put up at the necessary and designated places and public announcement was made. Public hearing was organized near Upper Primary School Madihan Bazar Madihan, District-Mirzapur on 11.04.2025 under the chairmanship of Additional District Magistrate (Dept.-Revenue), Mirzapur. The following officers / public groups were present in the said public hearing: -

1. Shri S.P. Shukla, Additional District Magistrate (Dept-Revenue), Mirzapur.
2. Shri R.K. Singh, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Sonbhadra.
3. Shri R.N. Shukla, Representative, M/s Mirzapur Thermal Energy (U.P.) Pvt. Ltd.
4. Mr. Abhay Kumar Singh, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Sonbhadra.
5. Mr. Abhishek Gautam, M/s Gaurang Environmental Solutions Pvt. Ltd., Jaipur, Rajasthan.
6. A photocopy of the attendance register of the people present at the time of public hearing is enclosed.

First of all, Shri R.K. Singh, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Sonbhadra, while welcoming the present Chairman, general public and representatives of press and electronic media, informed about the provision & purpose of this Public Hearing as per the Notification Number SO-1533, dated 14 September 2006 (as amended) issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, S.O. 3067 (E). More than 1600 people participated in the public hearing and 01 suggestion/complaint in written form were received by the Regional Office on 11.04.2025 (copy enclosed). Thereafter, the Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra invited the project proponent to give detailed information on environmental protection and various aspects of the environment.

The project proponent representative, Shri R.N. Shukla welcomed the Additional District Magistrate, Mirzapur, officers/members of UP Pollution Control Board and general public present in the public hearing and informed that the project is for setting up a proposed 2x800 MW coal based ultra super critical thermal power plant of M/s Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has granted the Terms of References (TOR) approval letter dated 29.07.2024 for the study of environmental impact assessment related to the establishment of the said project.

As per the conditions of the approved TOR, physical, biological and socio-economic environmental baseline study was conducted in the 10 km radius area of the project site between the months of October, November, December 2024 by M/s Gaurang Environmental Solutions Private Limited, an environmental consultant approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi and the draft EIA report and environmental management plan was prepared and sent by the project proponent to the Uttar Pradesh Pollution Control Board for public hearing on 10.02.2025. The project proponent has informed the public about the proposed project in detail, which is as follows: -

M/s. Adani Power Limited (APL), a flagship company of the diversified Adani Group, is India's largest private thermal power producer with a total generation capacity of 17,510 MW. APL operates thermal power plants in the states of Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu, Jharkhand, Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

Background of the project:

M/s Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited has proposed to set up 1600 (2x800) MW coal based Ultra Super Critical Technology Thermal Power Project (USCTPP) at Dadri Khurd Village, District Mirzapur, Uttar Pradesh.

Earlier, Environmental Clearance (EC) for 1320 (2x660) MW was granted to Welspun Energy UP Private Limited by Ministry of Environment & Forests, New Delhi vide File No. J-13012/12/2011-IA.II(T) dated 21.08.2014. Subsequently, the name was changed to M/s Mirzapur Thermal Energy UP Private Limited vide letter No. F. No. J-13012/12/2011-IA.II(T) dated 20.12.2019. Consent to Establish (CTE) was also granted by UPPCB on 13.01.2015. Now the proposal has been changed from 2x660 MW to 2x800 MW.

Purpose of Public Hearing:

To consider and resolve suggestions/objections/requests regarding environmental impact of the proposed project or activity from local people and other stakeholders and to provide a platform for suggestions from local people on related issues, amenities, possibilities, social, economic and environmental benefits and impacts.

Key Features of the Project:

- The proposed project has power generation capacity of 2x800 MW. The project is proposed to be constructed at Village Dadri Khurd, Tehsil Mirzapur Sadar District Mirzapur, Uttar Pradesh.

- The project is one of the largest installed project in India in terms of power generation capacity.

- Water requirement for the project will be met through pipeline from River Ganga to Upper Khajuri Dam and from Upper Khajuri Dam to the plant site.

- This plant is based on Zero Liquid Discharge (ZLD).

- A total of 365.19 hectares of land is required for the construction of the proposed project.

- Around 7500 workers will be required during the construction phase of the proposed project, which will provide direct and indirect employment, self-employment and business opportunities to the local youth.

- Construction of the project will lead to qualitative improvement in the living standards of local residents in terms of basic amenities such as education, health, drinking water etc. at the local level, thereby improving the quality of life of local residents in the project area.

Benefits from the project:

Improvement of available physical infrastructure (such as approach roads, drainage, communication and transport facilities etc.) and social structure (such as education and health care system). Development of ancillary and small scale industries in the area to meet the project requirement. People living in the surrounding areas will be benefited directly and indirectly. Necessary medical facilities will be developed under CSR activities/programmes which will be beneficial for the local people living in the study area as per the Companies Act. Other developments like opening of new schools and shops may take place. These will be beneficial for the local people living in the study area. This will improve the power supply situation in the state as well as in India, which is important for economic development as well as improving the quality of life.

To reduce the impacts on environment and social environment during the construction phase of the proposed project, environmental management plan, afforestation plan, biodiversity conservation and wildlife management plan, fisheries development plan, rehabilitation of landless and construction sites, sanitation and solid waste management plan, public health delivery system, energy conservation measures, labour health and safety management plan, green belt development plan, disaster management plan, local area development plan, pollution control plan, air, water and noise pollution control plan, local area development plan, water catchment area treatment plan and environmental monitoring programme have been proposed for environmental management.

Thereafter, the project proponent representative Mr. R N Shukla, Head, Environment and Forest informed the public that a total amount of Rs. 3012.39 crore is proposed under Environmental Management Plan (EMP) and Rs 45.75 crore proposed to expend under development of infrastructure in Regional Development Plan (CER).

Thereafter, the Regional Officer, UP Pollution Control Board, Sonbhadra invited the general public present to express their suggestions/objections/objections. During the public hearing, apart from the following oral suggestions/objections/objections, a total of 53 letters of support were received in written form in favour of MTEUPPL, which are enclosed. The entire public hearing was videographed and photographed, which are enclosed.

Thereafter, the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Sonbhadra invited the general public present to express their suggestions/objections. The details of the suggestions/objections presented by the general public present are as follows:-

S. No	Name and address of the person	Suggestions/Objections/Comments
1.	Shri Mahendra Singh, Madihan, District-Mirzapur.	➢ Our honourable Prime Minister says that when a big company decides to set up an industry in an area, the first priority should be given to the development of that area. There are less employment opportunities in our area. The industry that will be set up here will not affect the people in any significant way, so local people should be given employment and it would be great if it is told how much percentage of employment will be given to local people.
2.	Shri Baburam Yadav, Dadra Hill, Madihan, District-Mirzapur	➢ I thank everyone present in this public hearing. I would like to ask a question to the company representatives: Earlier a power plant was set up in Sonbhadra, but the people of Sonbhadra, especially Mirzapur and Vindhyachal did not get the benefit of its electricity. So I request you to please clarify how much percentage of the electricity generated will be distributed to Mirzapur. Also, please tell how much employment will be provided to the local residents of Mirzapur. I support this project because setting up a project of such a large capacity plays an important role in the development of the region.

3.	Shri Nandan Yadav Dadra Hill, Madihan, District-Mirzapur.	➢ We want to see development in our region. And this project can play a vital role in achieving this goal. We also hope that employment opportunities will be provided to local residents, and this power plant will help in improving nearby schools, community centers and other necessary facilities.
4.	Shri Deendayal Singh (NTPC Retired), Madihan, District-Mirzapur	➢ I appreciate the CSR work done by Adani Group. A borewell should be installed to solve the drinking water problem.
5.	Shri. Dinesh Kumar Patel, Madihan, District-Mirzapur.	➢ The water requirement of the project will be met by taking water from the Ganga river. However, this may lead to water shortage for farmers, which may affect agriculture and other related activities in the region.
6.	Mrs. Rinku Devi Devrikala, Madihan, District-Mirzapur.	➢ I support Adani Group for this project as they are doing commendable work in the education sector, including the development of smart classrooms in schools.
7.	Shri. Hari Shankar Patel, Madihan, Mirzapur.	➢ I support this project as it will generate electricity which will contribute significantly to the development of the region. Earlier a cement factory was operational here but now it has been shut down leaving no major source of employment for the local people. The total area of the district is around 4.5 lakh hectares out of which 1.6 lakh hectares is agricultural land. The remaining land is hilly forest area or inhabited area. As per the Land Acquisition Act 2013 agricultural land cannot be acquired for industrial purpose. Since the land selected for this project is non-agricultural, we welcome this project with open heart. ➢ Mirzapur is becoming the hub of various important activities of the country, and the establishment of this power plant can be seen as a blessing for this region. The people of Mirzapur should be given priority in employment opportunities, especially when the population of the district has crossed 30 lakhs. ➢ I would also like to give a suggestion that when water is required from Khajuri Dam for this project, water will be released, but it should be released at other times as well, so that local

		people can make better use of this water resource.
8.	Smt. Ram Dulari (Dadri Khurd), Madihan, Mirzapur	➢ I support this power plant project and only requesting priorities to be given to locals for employment opportunities.
9.	Shri Vaijnath Prajapati, Madihan, Mirzapur	➢ This project will contribute to the development of Mirzapur and increase employment opportunities so I support it.
10.	Smt. Pushpanjali Devi Deori Kali, Madihan, Mirzapur	➢ I support the Adani power plant project because it will provide employment opportunities. Additionally, the project will also contribute to many other benefits including improving the education system and improving road infrastructure
11.	Mr. Praveen Kumar Pandey, Madihan, Mirzapur	➢ There is a problem of employment in Uttar Pradesh. If this group provides employment to the local people, it will encourage the youth to stay in their villages and live a stable and peaceful life.
12.	Mr. Manish Kumar Singh, Patehra Kala, Madihan, Mirzapur	➢ I support Adani Power Limited as Adani Power Plant is doing commendable welfare work for the local community which is really praiseworthy.
13.	Mrs. Rukmani, Madihan, Mirzapur.	➢ I support Adani Power Limited.
14.	Mr. Anil Kumar Singh (Principal Shanti Niketan School Goddodhara)	➢ I really appreciate this project. I have been working for the last 27 years, and during this time no private organization has installed even a single tap in schools. In contrast, this group has installed solar panels in 40-50 schools, done renovation work in colleges and also provided cricket net practice grounds for sports activities. ➢ This group has made significant contributions in the fields of sports, health and environment. Their medical van service is currently operational, and I want this service to continue. ➢ Some people believe that when this plant is established, all welfare work will stop, but this will not happen. Due to modern technology, there will be no pollution from this project. Tree plantation will be done in a proper manner and responsibility of ash management will be taken care of.

Thereafter, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Madihan, Shri Rama Shankar Singh Patel told that people are fortunate that no one knew the condition of Uttar Pradesh in Mirzapur district, but today an investment of about 18300 crores is being made in Mirzapur by Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited and it is happening next to us, for this I congratulate you. To generate employment here, 1600 MW thermal power is being installed. We told that with the installation of this plant, people will get employment.

The public was informed by the project representative Mr. Abhishek Gautam, M/s Gaurang Environmental Solutions Pvt. Ltd., Jaipur, Rajasthan that the project ensures overall socio-economic development of the neighbouring areas including providing employment opportunities for the local people. As per the Office Memorandum of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi dated 30th September'2020 and 20th October'2020, socio-economic developmental activities will be prepared based on the issues raised during the public hearing, which will be addressed in the Environmental Management Plan (EMP) and implemented in a time-bound manner with the commissioning of the project.

Thereafter, Additional District Magistrate (Dept.-Revenue), Mirzapur expressed gratitude to the public representatives and the general public present for expressing their suggestions in the public hearing and said that the main objective of this public hearing proceedings is to record the objections/suggestions of the people related to the proposed project in writing and send them to the competent level. The general public present in this public hearing informed about their suggestions/objections. Whatever suggestions/objections/comments have been given by the public, whether written or oral. The views expressed by you have been recorded. They will be transcribed and sent along with video recording to take a final decision at a higher level.

Additional District Magistrate (Dept.-Revenue), Mirzapur hoped that the general public will cooperate with the project proponent for the development of the project and the project proponent will focus on the development of the area keeping in mind the demands and suggestions of the local people. At the same time, the Additional District Magistrate (Dept.-Revenue), Mirzapur asked the project representative to try to provide employment opportunities to the local people and work should be done for the development of basic facilities in the area.

In the end, the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Sonbhadra thanked all the people present and announced the completion of the public hearing proceedings with the permission of the Additional District Magistrate (Dept.-Revenue), Mirzapur.

NOTARY VIJAY C. SHAH AHMEDABAD GUJARAT STATE

Certified true and correct translation of a Gujarati/Hindi document produced before me.

VIJAY C. SHAH
NOTARY PUBLIC INDIA
MY COMMISSION EXPIRES ON 7/10/2027

19 JUN 2025